

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना-800004

Website-www.biadabihar.in .E.mail- biada@rediffmail.com Phone/Fax: 0612-2675352/2675296/2675002/2675889

कार्यालय आदेश

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न(निवारण, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम - 2013 की धारा 4 के तहत बियाडा में निम्नांकित प्रकार से आन्तरिक परिवाद समिति का गठन किया जाता है:-

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. प्रो० मल्लिका नवल | - | अध्यक्ष। |
| सहायक प्रोफेसर, विकास प्रबंधन संस्थान, पटना। | | |
| 2. श्रीमती अंजु कुमारी, कार्यपालक, बियाडा | - | संयोजक सदस्य। |
| 3. श्रीमती मीना कुमारी, कार्यपालक, बियाडा | - | सदस्य। |
| 4. डॉ० जूली बैनर्जी, स्वतंत्र समाज सेवी | - | सदस्य। |

बियाडा में आन्तरिक परिवाद से संबंधित मामले को समिति के समक्ष ससमय उपस्थापित करने की जिम्मेदारी संयोजक सदस्य की होगी, जिसका निपटारा कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न, एक्ट 2013 के प्रावधानों के तहत नियत समय में किया जायेगा। उपरोक्त समिति के कंडिका 4 की सदस्य डॉ० जूली बैनर्जी, स्वतंत्र समाज सेवी को प्रति बैठक रू० 1000/- (एक हजार) मात्र भत्ता के रूप में देय होगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

सचिव।

ज्ञापांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि:- समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सचिव।

ज्ञापांक 1085/2217

दिनांक 23/02/17

प्रतिलिपि:- कार्यकारी निदेशक, बियाडा क्षेत्रीय कार्यालय पटना/ भागलपुर/ दरभंगा/ मुजफ्फरपुर/मुख्य अभियंता, बियाडा/विधि पदाधिकारी, बियाडा/ वरीय लेखा पदाधिकारी, बियाडा/आई.टी. पदाधिकारी, बियाडा/परामर्शी, बियाडा/सभी क्षेत्रीय कार्यालय के सूचना पट्ट/ प्र० नि० के विशेष सहायक, बियाडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।